

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती करुणा लाडोती, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 01/2022

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2022/01

अनवान

1. भगवाननाथ पिता नेनुनाथ जोगी निवासी सज्जनपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. दिनेशनाथ पिता नेनुनाथ जोगी निवासी सज्जनपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. ईश्वरनाथ पिता नेनुनाथ जोगी निवासी सज्जनपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. सुगना पुत्री नेनुनाथ जोगी निवासी सज्जनपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. नोसी पुत्री नेनुनाथ जोगी निवासी सज्जनपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. नेनुनाथ पिता उगमनाथ जोगी निवासी सज्जनपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. सुवानाथ पिता उगमनाथ जोगी निवासी सज्जनपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. पारसी पुत्री उगमनाथ जोगी निवासी सज्जनपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. बदामी पुत्री उगमनाथ जोगी निवासी सज्जनपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. कोयली पुत्री उगमनाथ जोगी निवासी सज्जनपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. पारसनाथ पिता खुमनाथ जोगी निवासी सज्जनपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. श्रवणनाथ पिता खुमनाथ जोगी निवासी सज्जनपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. सीता पुत्री खुमनाथ जोगी निवासी सज्जनपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. सुशीला पुत्री खुमनाथ जोगी निवासी सज्जनपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. मानी पुत्री खुमनाथ जोगी निवासी सज्जनपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. झमकुदेवी पत्नि खुमनाथ जोगी निवासी सज्जनपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. भैरू नाथ पिता हजारीनाथ जोगी निवासी सज्जनपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. लक्ष्मणनाथ पिता हजारीनाथ जोगी निवासी सज्जनपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. भंवरी पुत्री हजारीनाथ जोगी निवासी सज्जनपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15. मंगनी पुत्री हजारीनाथ जोगी निवासी सज्जनपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16. बरदुनाथ पिता समुन्द्रनाथ जोगी निवासी सज्जनपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
17. गोपीनाथ पिता समुन्द्रनाथ जोगी निवासी सज्जनपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
18. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रायपुर जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक
19. सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा गंगपुर जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक
20. बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मोखुन्दा तहसील रायपुर जरिये शाखा प्रबन्धक
21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा


प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. हरिशचन्द्र टेलर – वादीगण अधिवक्ता
2. प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 20 एकपक्षीय



  
सहायक कलक्टर  
रायपुर जिला भीलवाड़ा

## निर्णय

दिनांक 04.09.2025

1. प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 के सगे जाईन्दा पुत्र व पुत्रियां होकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही हिन्दु परिवार के सदस्य है तथा हिन्दु विधि से शासित होते है। राजस्व ग्राम गलवा पटवार मण्डल गलवा तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में सजरे अनुसार मूल पुरुष परथीनाथ के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काशत की साबिक आराजियात संख्या 40 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा, 41 रकबा 14 बीघा 17 बिस्वा, 57 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 58 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, 59 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, 60 रकबा 5 बिस्वा गै.मु. आचा, 61 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, 62 रकबा 14 बिस्वा, 63 रकबा 15 बिस्वा, 64 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, 65 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 66 रकबा 13 बिस्वा, 67 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, 68 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, 69 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, 70 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, 71 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा, 72 रकबा 9 बीघा 3 बिस्वा, 97 रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा, 98 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा, कुल कित्ता 20 कुल रकबा 82 बीघा 17 बिस्वा भूमि थी। जिसमें परथीनाथजी की मृत्यु हो जाने से उनके तीनों लड़के हजारीनाथ, समुन्द्रनाथ और उगमनाथ के नाम पर विरासत से भूमियां दर्ज हो गईं। प्रमाण में नकल जमाबंदी संवत् 2009 से 2012 तक साथ प्रस्तुत हैं। उक्त वर्णित भूमिया वादीगण के परदादा व हमारे पिता प्रतिवादी संख्या 01 नेनुनाथ के दादा परथीनाथजी के खातेदारी की होकर उनकी विरासत से प्रतिवादी संख्या 01 के नाम पर विरासत से दर्ज हुई, जिससे उक्त वर्णित भूमियां वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 की व अन्य प्रतिवादीगण की पैतृक एवं पुश्तैनी भूमियां हैं। उक्त वर्णित भूमियों में प्रतिवादी संख्या 01 का 1/18 वां हिस्सा दर्ज रेकार्ड हैं। उनके उनके इस हिस्से में हम वादीगण का भी जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। जिससे वादीगण का भी उक्त वर्णित भूमियों में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत हम प्रत्येक वादीगण का 1/108 तथा वादीगण का संयुक्त रूप से 5/108 हिस्सा निहित होकर हम वादीगण हिस्से अनुसार भूमियों पर काबिज हैं।
2. तहसील रायपुर का नवीन भू-प्रबन्ध हुआ। जिससे ग्राम गलवा का भी नवीन भू-प्रबन्ध किया जिसमें उक्त वर्णित हमारी पुश्तैनी कृषि साबिक आराजियात के नवीन आराजी नम्बर 82 रकबा 0.46 हैक्ट, 83 रकबा 0.55 हैक्ट, 84 रकबा 0.70 हैक्ट, 85 रकबा 0.70 हैक्ट 86 रकबा 0.70 हैक्ट, 87 रकबा 0.03 हैक्ट गेमु आचा, 88 रकबा 1.00 हैक्ट, 89 रकबा 1.42 हैक्ट, 118 रकबा 0.24 हैक्ट, 121 रकबा 0.01 हैक्ट गेमु आचा. 125 रकबा 0.28 हैक्ट 126 रकबा 0.13 हैक्ट, 127 रकबा 0.15 हैक्ट, 128 रकबा 0.18 हैक्ट, 129 रकबा 0.11 हैक्ट, 130 रकबा 0.11 हैक्ट 131 रकबा 0.25 हैक्ट, 132 रकबा 0.25 हैक्ट, 133 रकबा 0.14 हैक्ट, 134 रकबा 0.25 हैक्ट, 135 रकबा 0.07 हैक्ट 136 रकबा 0.07 हैक्ट, 137 रकबा 0.03 हैक्ट, 138 रकबा 0.03 हैक्ट, 139 रकबा 0.05 हैक्ट, 140 रकबा 0.02 हैक्ट, 141 रकबा 0.02 हैक्ट, 142 रकबा 0.02 हैक्ट, 143 रकबा 0.02 हैक्ट, 144 रकबा 0.05 हैक्ट, 145 रकबा 0.03 हैक्ट, 146 रकबा 0.13 हैक्ट, 147 रकबा 0.05 हैक्ट, 148 रकबा 0.32 हैक्ट, 149 रकबा 0.32 हैक्ट, 150 रकबा 0.15 हैक्ट, 151 रकबा 0.16 हैक्ट, 152 रकबा 1.36 हैक्ट, 153 रकबा 0.36 हैक्ट, 154 रकबा 0.34 हैक्ट, 155



**सहायक कलेक्टर**  
रायपुर

रकबा 0.33 हैक्ट, 156 रकबा 0.34 हैक्ट., 157 रकबा 0.14 हैक्ट, 158 रकबा 0.25 हैक्ट, 159 रकबा 0.30 हैक्ट, 160 रकबा 0.30 हैक्ट., 161 रकबा 0.08 हैक्ट., 162 रकबा 0.24 हैक्ट, 163 रकबा 0.23 हैक्ट, 164 रकबा 0.23 हैक्ट, 165 रकबा 0.22 हैक्ट., 166 रकबा 0.25 हैक्ट, 167 रकबा 0.25 हैक्ट, 168 रकबा 0.22 हैक्ट., 169 रकबा 0.08 हैक्ट., 170 रकबा 0.05 हैक्ट., 171 रकबा 0.05 हैक्ट, 172 रकबा 0.51 हैक्ट., 198 रकबा 1.36 हैक्ट., 199 रकबा 1.23 हैक्ट, कुल कित्ता 60 कुल रकबा 17.92 हैक्ट कायम किये गये। तथा उक्त वर्णित भूमियों को ग्राम गलवा का मजरा सज्जनपुरा जो कि राजस्व ग्राम बन जाने से उक्त वर्णित भूमियां राजस्व ग्राम सज्जनपुरा की खाता संख्या 24 पर दर्ज रेकार्ड हैं। उक्त वर्णित भूमि पैतृक एवं पुश्तैनी तौर पर प्रतिवादी संख्या 01 के नाम पर दर्ज है। जो विरासत से मेरे परदादा के समय से चली आ रही हैं। जिसमें वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 01 नेनुनाथ का 1/18 वां हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। जिसमें हम वादीगण का भी जन्म से हक एवं अधिकार निहित होने एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार हम वादीगण का प्रत्येक का 1/6-1/6 यानि सम्पूर्ण भूमियों में प्रत्येक वादीगण का 1/108-1/108 व संयुक्त रूप से वादीगण का 5/108 वां हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 का 1/108 वां हिस्सा बनता है। तथा इसी अनुसार हम वादीगण एवं प्रतिवादीगण भूमियों पर मौके पर काबिज हैं। और कृषि कर उपज का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

3. प्रतिवादी संख्या 01 जो हम वादीगण के सगे पिता हैं। गांजे के नशे के आदि हैं और पुरे दिन नशे में रहकर घर पर नहीं आकर घुमते फिरते रहते हैं। तथा वादीगण को व हमारी माता गंगादेवी को त्याग रखा हैं। हमारा भरण पोषण आदि भी नहीं करते हैं। तथा भूमियों से वादीगण के हक एवं हिस्से को खुर्द बुर्द कर हमें हमारे जायज हकों से महरूम करना चाहते हैं। इस गरज से भूमाफियों से मिलकर आये दिन सौदा करते रहते हैं। और उसे विक्रय या हस्तान्तरण कर हमें जबरन बेदखल करना चाहते हैं। जिससे हम वादीगण को हमारे हक एवं हिस्से की भूमि यानि वादीगण के संयुक्त रूप से 5/108 वां हिस्से की घोषणात्मक डिक्री जारी करवाया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है।
4. अतः वादीगण की सादर प्रार्थना है कि घोषणात्मक डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की फरमाई जावे कि राजस्व ग्राम सज्जनपुरा पटवार हल्का गलवा की बैरून हल्का आबादी में स्थित नवीन खाता संख्या 24 में अंकित कुल कित्ता 60 कुल रकबा 17.92 है० भूमि के वादीगण संयुक्त रूप से 5/108 हिस्से के खातेदार है तथा तदनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/108 वां हिस्सा तथा वादीगण का संयुक्त रूप से 5/108 वां हिस्सा राजस्व रेकार्ड में अपने नाम करने का अधिकारी है तथा उक्त इन्द्राज का कराया जाकर इन्द्राज दुरुस्ती करवाई जावे। साथ ही रथाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजियात को किसी अन्य को विक्रय, रहन, बय बक्षीस या अन्य तरीके से हस्तान्तरित नहीं करे तथा वादीगण के हक हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल नही करें तथा न किसी अन्य से करावे। वादीगण को शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे व नाजायज दखलदांजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को सम्मन जारी किये गये। सम्मन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 20 बावजुद सूचना के उपस्थित नही



सहायक कलक्टर

होने एकतरफा कार्यवाही दिनांक 05.04.2022 को अमल में लाई गयी। प्रतिवादी संख्या 21 औपचारिक पक्षकार है।

6. वादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में वादवर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण का वादवर्णित भूमि में जन्म से हक अधिकार निहित होता है तथा उसी हक अधिकार को लेने के लिए वाद प्रस्तुत किया गया है। वादीगण का निहित हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया गया।
7. साक्ष्यवादी में वादी द्वारा भगवानाथ के बयान कराये गये जो पत्रावली में सलग्न है। रेकार्ड प्रदर्श कराये गये जो निम्न है :-

क.स.	प्रदर्शित दस्तावेज	प्रदर्श संख्या
1	जमाबन्दी संवत 2009 से 2012	प्रदर्श-1
2	नामान्तरण संख्या 04 ग्राम गलवा	प्रदर्श-2
3	मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति	प्रदर्श-3
4	हाल जमाबन्दी संवत 2070-2073	प्रदर्श-4
5	हाल जमाबन्दी संवत 2074-2077	प्रदर्श-5

8. न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड पर मनन किया तो पाया कि प्रकरण में वर्णित आराजियात वादीगण के पिता के नाम दर्ज है उक्त भूमि पैतृक है। हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत पैतृक सम्पत्ति में जन्म से हक अधिकार निहित होता है। पिता की सम्पत्ति में पुत्र व पुत्रीयों को पिता के जीवनकाल में से ही हक हिस्सा निहित होता है। वादी भगवाननाथ के बयान कराये गये प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं है। वादीगण द्वारा पैतृक सम्पत्ति का बंटवारा ना चाह कर संयुक्त रूप से अपने हिस्से की घोषणात्मक डिक्री चाही गई है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पैतृक सम्पत्ति में जन्म से हक अधिकार निहित होते हैं। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

### आदेश

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम सज्जनपुरा पटवार हल्का गलवा के बेरुन हल्का आबादी में स्थित नवीन आराजी नम्बर 82 रकबा 0.46 हैक्ट, 83 रकबा 0.55 हैक्ट, 84 रकबा 0.70 हैक्ट, 85 रकबा 0.70 हैक्ट 86 रकबा 0.70 हैक्ट., 87 रकबा 0.03 हैक्ट गेमु आचा, 88 रकबा 1.00 हैक्ट., 89 रकबा 1.42 हैक्ट, 118 रकबा 0.24 हैक्ट, 121 रकबा 0.01 हैक्ट गेमु आचा, 125 रकबा 0.28 हैक्ट 126 रकबा 0.13 हैक्ट, 127 रकबा 0.15 हैक्ट, 128 रकबा 0.18 हैक्ट, 129 रकबा 0.11 हैक्ट., 130 रकबा 0.11 हैक्ट 131 रकबा 0.25 हैक्ट, 132 रकबा 0.25 हैक्ट, 133 रकबा 0.14 हैक्ट., 134 रकबा 0.25 हैक्ट, 135 रकबा 0.07 हैक्ट 136 रकबा 0.07 हैक्ट, 137 रकबा 0.03 हैक्ट, 138 रकबा 0.03 हैक्ट, 139 रकबा 0.05 हैक्ट, 140 रकबा 0.02 हैक्ट, 141 रकबा 0.02 हैक्ट, 142 रकबा 0.02 हैक्ट, 143 रकबा 0.02 हैक्ट, 144 रकबा 0.05 हैक्ट, 145 रकबा 0.03 हैक्ट, 146 रकबा 0.13 हैक्ट., 147 रकबा 0.05 हैक्ट, 148 रकबा 0.32 हैक्ट, 149 रकबा 0.32 हैक्ट, 150 रकबा 0.15 हैक्ट, 151 रकबा 0.16 हैक्ट, 152 रकबा 1.36 हैक्ट.. 153 रकबा 0.36 हैक्ट, 154 रकबा 0.



4/4  
सहायक क्लर्क  
असपर

34 हैक्ट, 155 रकबा 0.33 हैक्ट, 156 रकबा 0.34 हैक्ट., 157 रकबा 0.14 हैक्ट, 158 रकबा 0.25 हैक्ट, 159 रकबा 0.30 हैक्ट, 160 रकबा 0.30 हैक्ट., 161 रकबा 0.08 हैक्ट., 162 रकबा 0.24 हैक्ट, 163 रकबा 0.23 हैक्ट, 164 रकबा 0.23 हैक्ट, 165 रकबा 0.22 हैक्ट., 166 रकबा 0.25 हैक्ट, 167 रकबा 0.25 हैक्ट, 168 रकबा 0.22 हैक्ट., 169 रकबा 0.08 हैक्ट., 170 रकबा 0.05 हैक्ट., 171 रकबा 0.05 हैक्ट, 172 रकबा 0.51 हैक्ट., 198 रकबा 1.36 हैक्ट., 199 रकबा 1.23 हैक्ट, कुल किता 60 कुल रकबा 17.92 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के दर्ज हिस्से 1/18 हिस्से के बजाय वादीगण को संयुक्त रूप से 5/108 वां हिस्से का खातेदार व प्रतिवादी संख्या 1 को 1/108 वां हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष बदस्तुर जमाबन्दी रखा जावे। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी होकर राजस्व रेकार्ड में अमल हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 04.09.2025 को सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करुणा लाडोती)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

समयपुर जिला मीलघाड़ा  
एल.डी.ओ. समयपुर



मूल वाद में अन्तिम डिक्री  
(आदेश 20 रूल्य 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती करुणा लाडोती, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 01/2022

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2022/01

अनवान

1. भगवाननाथ पिता नेनुनाथ जोगी निवासी सज्जनपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. दिनेशनाथ पिता नेनुनाथ जोगी निवासी सज्जनपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. ईश्वरनाथ पिता नेनुनाथ जोगी निवासी सज्जनपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. सुगना पुत्री नेनुनाथ जोगी निवासी सज्जनपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. नोसी पुत्री नेनुनाथ जोगी निवासी सज्जनपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. नेनुनाथ पिता उगमनाथ जोगी निवासी सज्जनपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. सुवानाथ पिता उगमनाथ जोगी निवासी सज्जनपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. पारसी पुत्री उगमनाथ जोगी निवासी सज्जनपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. बदामी पुत्री उगमनाथ जोगी निवासी सज्जनपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. कोयली पुत्री उगमनाथ जोगी निवासी सज्जनपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. पारसनाथ पिता खुमनाथ जोगी निवासी सज्जनपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. श्रवणनाथ पिता खुमनाथ जोगी निवासी सज्जनपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. सीता पुत्री खुमनाथ जोगी निवासी सज्जनपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. सुशीला पुत्री खुमनाथ जोगी निवासी सज्जनपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. मानी पुत्री खुमनाथ जोगी निवासी सज्जनपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. झमकुदेवी पत्नि खुमनाथ जोगी निवासी सज्जनपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. भैरू नाथ पिता हजारीनाथ जोगी निवासी सज्जनपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. त्क्ष्मणनाथ पिता हजारीनाथ जोगी निवासी सज्जनपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. भंवरी पुत्री हजारीनाथ जोगी निवासी सज्जनपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15. मंगनी पुत्री हजारीनाथ जोगी निवासी सज्जनपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16. वरदुनाथ पिता समुन्द्रनाथ जोगी निवासी सज्जनपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
17. गोपीनाथ पिता समुन्द्रनाथ जोगी निवासी सज्जनपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
18. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रायपुर जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक
19. सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा गंगापुर जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक
20. बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मोखुन्दा तहसील रायपुर जरिये शाखा प्रबन्धक

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादी



सहायक कलक्टर  
रायपुर जिला

## वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्तु इन फिसान कतई रुबरु हमारे बहाजरी वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम सज्जनपुरा पटवार हल्का गलवा के बेरुन हल्का आबादी में स्थित नवीन आराजी नम्बर 82 रकबा 0.46 हैक्ट, 83 रकबा 0.55 हैक्ट, 84 रकबा 0.70 हैक्ट, 85 रकबा 0.70 हैक्ट 86 रकबा 0.70 हैक्ट., 87 रकबा 0.03 हैक्ट गेमु आचा, 88 रकबा 1.00 हैक्ट., 89 रकबा 1.42 हैक्ट, 118 रकबा 0.24 हैक्ट, 121 रकबा 0.01 हैक्ट गेमु आचा. 125 रकबा 0.28 हैक्ट 126 रकबा 0.13 हैक्ट, 127 रकबा 0.15 हैक्ट, 128 रकबा 0.18 हैक्ट, 129 रकबा 0.11 हैक्ट., 130 रकबा 0.11 हैक्ट 131 रकबा 0.25 हैक्ट, 132 रकबा 0.25 हैक्ट, 133 रकबा 0.14 हैक्ट., 134 रकबा 0.25 हैक्ट, 135 रकबा 0.07 हैक्ट 136 रकबा 0.07 हैक्ट, 137 रकबा 0.03 हैक्ट, 138 रकबा 0.03 हैक्ट, 139 रकबा 0.05 हैक्ट, 140 रकबा 0.02 हैक्ट, 141 रकबा 0.02 हैक्ट, 142 रकबा 0.02 हैक्ट, 143 रकबा 0.02 हैक्ट, 144 रकबा 0.05 हैक्ट, 145 रकबा 0.03 हैक्ट, 146 रकबा 0.13 हैक्ट., 147 रकबा 0.05 हैक्ट, 148 रकबा 0.32 हैक्ट, 149 रकबा 0.32 हैक्ट, 150 रकबा 0.15 हैक्ट, 151 रकबा 0.16 हैक्ट, 152 रकबा 1.36 हैक्ट.. 153 रकबा 0.36 हैक्ट, 154 रकबा 0.34 हैक्ट, 155 रकबा 0.33 हैक्ट, 156 रकबा 0.34 हैक्ट., 157 रकबा 0.14 हैक्ट, 158 रकबा 0.25 हैक्ट, 159 रकबा 0.30 हैक्ट, 160 रकबा 0.30 हैक्ट., 161 रकबा 0.08 हैक्ट., 162 रकबा 0.24 हैक्ट, 163 रकबा 0.23 हैक्ट, 164 रकबा 0.23 हैक्ट, 165 रकबा 0.22 हैक्ट., 166 रकबा 0.25 हैक्ट, 167 रकबा 0.25 हैक्ट, 168 रकबा 0.22 हैक्ट., 169 रकबा 0.08 हैक्ट., 170 रकबा 0.05 हैक्ट., 171 रकबा 0.05 हैक्ट, 172 रकबा 0.51 हैक्ट., 198 रकबा 1.36 हैक्ट., 199 रकबा 1.23 हैक्ट, कुल किता 60 कुल रकबा 17.92 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के दर्ज हिस्से 1/18 हिस्से के बजाय वादीगण को संयुक्त रूप से 5/108 वां हिस्से का खातेदार व प्रतिवादी संख्या 1 को 1/108 वां हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष बदस्तुर जमाबन्दी रखा जावे। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी होकर राजस्व रेकार्ड में अमल हो।

वाद में डिक्री आज दिनांक 04.09.2025 को सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) के हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी की गई।



(करुणा लाड़ोती)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर, जिला भीलवाड़ा